

पालय उपर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजरामन्द जिला राजरामन्द (पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जवाहिरा व गूअनि गिल्डुड की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब तहसीलदार गिल्डुड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान गृ-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गांगोस तहसील रेलमगरा व जिला राजरामन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 64, 206 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं) |
|---------|--------|-------------|--|---|
| 01 | गांगोस | 64 | जीतु पुत्र नेता हिस्सा-112 जाति - गाडरी सा. 36 खालेदार | जीतु जितमल पुत्र नेता हिस्सा-112 जाति - गाडरी सा. 36 खालेदार |
| | | 206 | जीतु पुत्र नेता हिस्सा-116 जाति - गाडरी सा. 36 खालेदार | जितमल पुत्र नेता हिस्सा-116 जाति - गाडरी सा. 36 खालेदार |

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :- 17/10/25

क्रमांक:- 417
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर